5/19 L - 61/04

26

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

404051

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - रू0 17,36,472/-

बाजारू मूल्य - रू0 2,88,125/-

अदा किये गये जनरल स्टैम्प- रू0 1,73,700/-

1.	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2.	परगना	-	बिजनौर
3.	ग्राम	-	यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा संख्या 251 रकबा

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507676

0.461 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.2305 हे0 स्थित ग्राम– यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	–	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.2305 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	–	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	–	नहीं
10.	बोरिंग / कुआं अन्य	–	कुछ भी नहीं है ।

चौहद्दी खसरा नं0 251

उत्तर	: ग्राम सीमा अहमामऊ
दक्षिण	: खसरा नं0–250

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO. 16 APR 2007

-3-

पूरब : खसरा नं0-251

पश्चिम : खसरा नं0- 244

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
श्रीमतीकलावती पत्नी हरदेव निवासी ग्राम यूसुफनगर परगना	गनेश पुत्र मिश्रीलालनिवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगाँव, तहसील

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

404048
16 APR 2001
TRY. LKO.

-4-

तहसील जिला लखनऊ।	व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख श्रीमतीकलावती पत्नी हरदेव नि0 यूसुफनगर परगना बिजनौर जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् गनेश पुत्र गिश्रीलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 251 रकबा 0.461 हे0 का 1/2 भाग अर्थात बिक्रीत रकबा 0.2305 हे0 स्थित युसुफनगर [illegible] परगना तहसील व जिला लखनऊ का मालिक,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 328791

कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00110 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 328792

गया है। विक्रेता पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विकय विलेख द्वारा विकय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 328793

भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 701118

किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी ——————

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 820687

JAN 2006

न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 820688

JAN 2004

सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 17,36,472/– के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 322074

06 APR 2007

स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 322073

06 APR 2007

आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 322072

व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 277108

- 9 APR 2007

अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 9 APR 2007

अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9 APR 2007

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO. - 9 APR 2007

और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ के द्वारा 27111

9 APR 2007

स. को. अ./ कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ

TRY. LKO.

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सुसुक्नगर अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 12,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.2305 हेक्टेअर की कुल मालियत 2,88,125/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 271193

9 APR 2007

बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,73,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं

चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 17,36,472/– द्वारा चेक संख्या– 583173 दिनांकित 17.01.2008 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 17,36,472/– (रूपया सत्रह लाख छिहत्तर हजार चार सौ बहत्तर मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है।

विक्रय पत्र

1,736,472.00/	288,125.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती कलावती
पुत्र / पत्नी श्री हरदेव
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी ग्राम यूसुफ नगर पर0 बिजनौर लखनऊ
अस्थायी पता

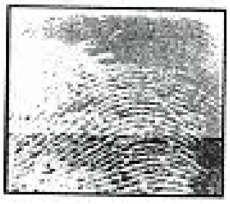

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 17/1/2008 समय 6:16PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
17/1/2008

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती कलावती
पुत्र/पत्नी श्री हरदेव
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम यूसुफ नगर पर0 बिजनौर लखनऊ

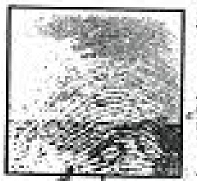

क्रेता
श्री/श्रीमती गनेश
पुत्र/पत्नी श्री मिश्रीलाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार सिन्हा
पुत्र श्री जी0 सी0 सिन्हा
पेशा व्यापार
निवासी लालाबाग लखनऊ

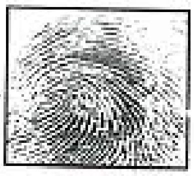

व श्री बुद्ध शरण
पुत्र श्री बसंतलाल
पेशा व्यापार
निवासी अर्जुनगंज बाजार लखनऊ
ने की ।

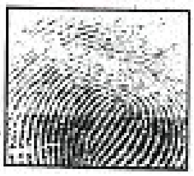

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
17/1/2008

नोटः— पृष्ठ संख्या 1 के सतर 8 में संख्या के बाद 251 पेन से लिखा हुआ है।

2. पृष्ठ संख्या 6 के सतर 5 में स्थित के बाद यूसुफनगर बगियामऊ पेन से लिखा हुआ है।

3. पृष्ठ संख्या 19 के सतर 1 में ग्राम के बाद यूसुफनगर तथा सतर 2 में ग्राम के पहले सामान्य तथा सतर 3 में भूमि के बाद 0.2305 और सतर 4 में मालियत के बाद 2,88,125/—पेन से लिखा हुआ है।

4. पृष्ठ संख्या 20 के सतर 2 में जनरल के पहले 1,76,700/— पेन से लिखा हुआ है।

Mohammad

लखनऊ:
दिनांक : 17.01.2008

गवाह :—क्रेता की पहचान की

1. सुनील कुमार सिन्हा
श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा
[illegible] बाग
लखनऊ

विकेता

Mamtaj

2. विक्रेता की पहचान की

केता

[illegible]
([illegible]) पु० [illegible]
[illegible]

टाईपकर्ता
(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 615 Year : 2008 Book No. 1

0101 कलावती

हरदेव

ग्राम युसुफ नगर पर0 बिजनौर लखनऊ

गृहिणी

ग्राम कुकुड़ागाँव उर्फ वनियाखेड़ा, परगना - बिजनौर; तहसील व जिला - लखनऊ

खसरा नं० 251

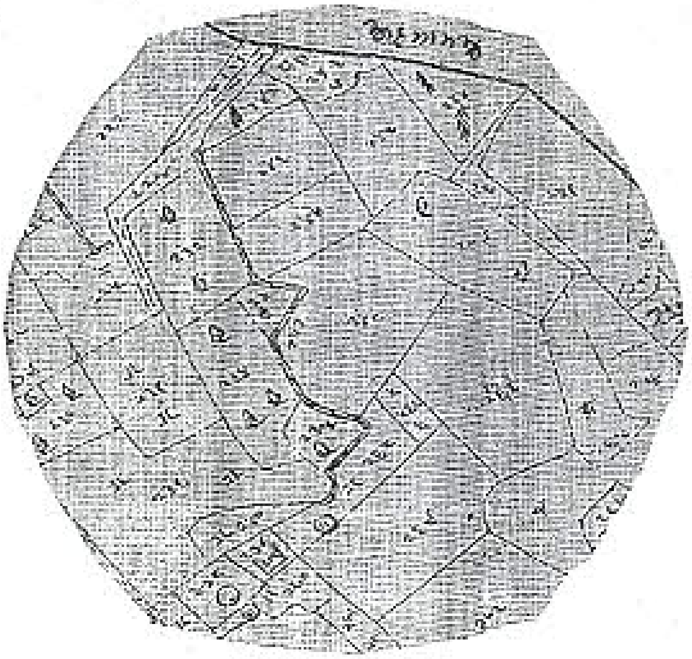

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

क्रेता

क्रेता

Registration No. 615 Year : 2008 Book No. 1

201 गनेश

मिश्रीलाल

ग्राम मिर्जापुर मिटारी फतेहपुर

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:– श्रीमती कलावती पत्नी हरदेव निवासी – ग्राम– यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता गनेश पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर मिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

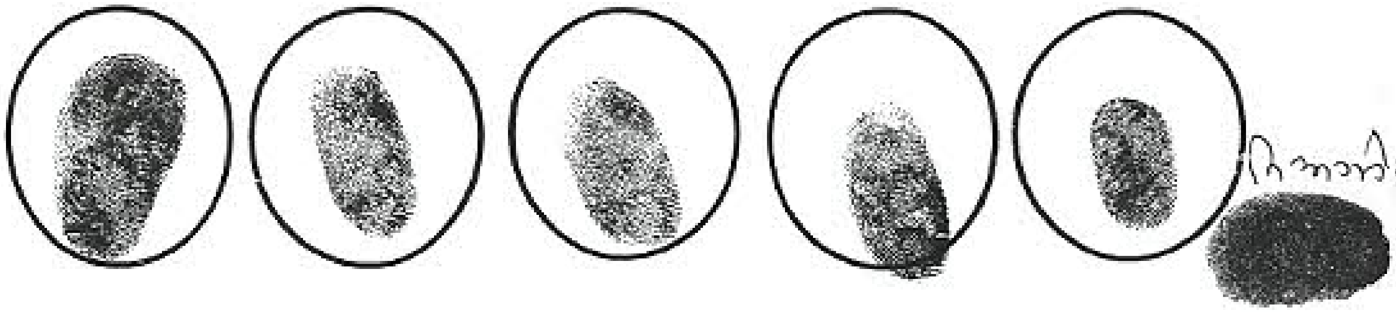

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 17/01/2008 को

वही सं 1 जिल्द सं 8861

पृष्ठ सं. 49 से 96 पर कमांक 615

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एच.के.पान्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

17/1/2008